6.6.18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। पैरोकार सरकार हाजिर। सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। ग्राम लल्लाई की जमाबंदी संवत् 2069-88, के खाता सं. नया-पुराना 48 खसरा न. 202 रकबा 0.0100 गै.मु. चाह, तथा खसरा न. 203, रकबा 0.4500 गै.मु. बाड़ा, पूर्वदकिंग जमाबंदी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 46-42 है जिसके खसरा न. 130 रकबा 02.18.00 किस्म गै.म. बाड़ा है जिसमें किसी प्रकार का चाह. बना हुआ नहीं है जिसके नये खसरा न. 202 व 203 बने है जबकि इस खसरा नं. में कोई कुँआ बना हुआ नहीं है जबकि खसरा न. 202, रकबा 0.0100, गै.मु.चाह अंकित कर दिया है जो गलत है। वादी ने दिनांक 26.10.17 को पटवारी से दुरस्त करने का निवेदन किया तो इन्कार कर दिया। तथा दावा पेश करने हेतु कहा। वादी ने खसरा न 202 को विलोपित करने तथा पूर्वानुसार नक्से मे तरमीम किये जाने की डिकरी जारी करने की प्रार्थना की।

किशनलाल

सांवलाल

वन्नी

रावतार

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजि० किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया गया। तह० के जवाब अनुसार खसरा नं० २०२, रकबा 0.0100 है० गै.मु. चाह. मौके पर नहीं है।

अतः जवाब सरकार के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की जारी है कि पुराने खसरा न. 103 से बने नये खसरा न. २०२ को विलोपित किया जावे। तथा राजस्व नक्से में कुएँ का अंकन हटाया जावे। तहसीलदार सरवाड़ रिकोर्ड की दुरस्ती करे। और राजस्व नक्से अनुसार तरमीम करे।

खर्चा फरिकेन अपना-2 वहन करे।

निर्णय मज में आम अदल सेवा केन्द्र ललाई में सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner